R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

299
जून
2004

नीति

निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना

निर्यातकों, खासकर छोटे और मझौले निर्यातकों को और अधिक सरलता से बैंक ऋण उपलब्ध कराने तथा क्रियाविधि और ऋण की शर्तों को उधारकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ऋण पाने की योग्यता रखने के साथ अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को निर्यात ऋण सुलभ कराने के लिए गोल्ड कार्ड जारी करने का प्रस्ताव किया था (वर्ष 2003-04 की निर्यात-आयात नीति)। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा बैंकों और निर्यातकों के परामर्श से गोल्ड कार्ड योजना (योजना) तैयार की है। इस योजना में निर्यातकों की कार्यक्षमता के अच्छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर उन्हें अतिरिक्त फायदे देने की बात कही गयी है। अपने अच्छे ट्रैक रिकार्ड केहोने से गोल्ड कार्ड धारक अधिक दक्षता से और सरलता से ऋण पा सकेंगे।

उद्देश्य

- बैंकों को चाहिए कि अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले और ऋण की योग्यता रखने वाले गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को अन्य निर्यातकों की तुलना में, बेहतर शर्तों पर ऋण दें।
- ऋण के आवेदनों को अन्य निर्यातकों की तुलना में सरल और तेज प्रक्रिया के मानकों पर निपटाया जाए।
- *सिद्धांतत:* सीमाओं को तीन वर्ष के लिए मंजूर किया जाएगा, और उसमें स्वत: नवीकरण हो जाने का प्रावधान रहेगा बशर्ते मंजूरी की शर्तें पूरी की जायें।
- गोल्ड कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) मंजूर करने में प्राथमिकता दी जाए।
- निर्धारित समय में निर्यात बिलों की वसूली करने के रिकार्ड के आधार पर, ऐसे गोल्ड कार्ड धारकों को अपनी अविलंब भुगतान बाध्यताओं आदि को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा क्रेडिट कार्ड जारी करने पर विचार किया जाए।
- बैंकों द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली प्रभार अनुसूची और फीस जैसी सेवाएँ, इस योजना के अंतर्गत अन्य निर्यातकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ली जाएँगी।
- चूँकि गोल्ड कार्ड धारकों के ट्रैक रिकार्ड और ऋण पाने की योग्यता के आधार पर गोल्ड कार्ड धारकों की ईमानदारी पहले ही परख ली जाती है, गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत निर्यात ऋण मंजूर करते समय संपार्श्विकता और प्रतिभूतियों संबंधी मानकों में शिथिलता बरती जाए।
- बैंक, निर्यातकों को अन्य कोई सुविधा/लाभ देने पर विचार कर सकते हैं बशर्ते, वे निर्यात वित्त पर लागू होने वाले वर्तमान नियमों और विनियमों को पूरा करते हों।

पात्रता

- अलग-अलग वित्तपोषक बैंक की राय में अच्छा रिकार्ड रखने वाले सभी विश्वसनीय निर्यातक इसके लिए पात्र होंगे।
- जिन निर्यातकों के खाते लगातार तीन वर्ष की अवधि तक **मानक** श्रेणी में रखे जाते हैं और जिनमें किसी प्रकार की अनियमितताएँ/प्रतिकूल बातें व्यक्त नहीं की गयी हैं, उन्हें अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले माना जा सकता है।
- जिन निर्यातकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा काली सूची में या भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता/सावधान सूची में दिखाया गया हो या जो पिछले तीन वर्ष में घाटा दिखा रहे हों या जिनके पास चालू वर्ष के टर्नओवर में 10 प्रतिशत से अधिक निर्यात बिलों का अतिदेय है, ऐसे निर्यातकों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी।
- इन शर्तों को पूरा करने वाले छोटे और मझौले क्षेत्रों सहित सभी पात्र निर्यातकों को इस योजना के अंतर्गत गोल्ड कार्ड जारी किया जाना चाहिये।

ऋण सीमा

- इस योजना के अंतर्गत ऋण सीमा की मंजूरी और नवीकरण बैंकों द्वारा निश्चित सरलीकृत पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्यातक के ट्रैक रिकार्ड और अनुमानित टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए बैंक उदार रुख अपना कर आवश्यकता के अनुरूप वित्त का निर्धारण करें। सिद्धांतत: सीमा तीन वर्ष के लिए मंजूर की जाएगी जिसमें स्वत: नवीकरण का प्रावधान रहेगा, बशर्ते मंजूरी की शर्तें पूरी की जायें।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना	1
कृषि क्षेत्र को ऋण	2
कृषि संबंधी अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	3
अनर्जक आस्तियां- अतिरिक्त प्रावधान	3
गैर-जमानती ऋणों पर सीमाओं का हटाया जाना	3
मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश	4
विवेकपूर्ण ऋण जोखिम संबंधी सीमाएं	4

- एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली के आधार पर, ब्याज दर सहित सभी शर्तें बैंकों द्वारा निश्चित की जाएंगी, जिसमें गोल्ड कार्ड धारकों के प्रति नरम रुख अपनाया जाएगा।
- बैंक यह सुनिश्चित करें कि एफसीएनआर (बी) निधि आदि पर ऋण मंजूर करने के संबंध में, गोल्ड कार्ड धारकों की पीसीएफसी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें गैर-निर्यातक उधारकर्ताओं की तुलना में प्राथमिकता दी जाए।
- बैंक, यथायोग्य मामलों में, उनकी एफसीएनआर (बी), आरएफसी, इत्यादि निधियों से विदेशी मुद्रा में मीयादी ऋण मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं। (बैंकों को ये ऋण अपने समुद्रपारीय उधारी के 25 प्रतिशत विंडो या समुद्रपारीय ऋण व्यवस्था के अधीन मंजूर नहीं करना चाहिए।)
- बैंकों को चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत ऋण सीमा की मंजूरी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को निबटाने के लिए निम्नानुसार निर्धारित समय सीमा रखें:
  - नये आवेदन पत्रों के निबटान के लिए - 25 दिन
  - ऋण सीमा का नवीकरण - 15 दिन
  - तदर्थ ऋण सीमा की मंजूरी - 07 दिन
- अचानक प्राप्त होने वाले आर्डर स्वीकार करने की त्वरित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमानित सीमा के 20 प्रतिशत से अनधिक आपाती सीमा अतिरिक्त रूप से रखी जानी चाहिए। मौसमी वस्तुओं के निर्यातकों के मामले में तेजी और मंदी का स्तर स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए।
- बैंक, निर्यात ऋण सीमा के आवेदन पत्र का प्रारूप युक्तिसंगत और सरल बनायें जिसमें सिर्फ वे ही विवरण मांगे जाएं जो निर्यात ऋण मंजूर करने से संबंधित हों। गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत निर्यात ऋण के लिए बैंकों को चाहिए कि वे भारतीय बैंक संघ (आइबीए) द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के लिए तैयार किए गये सरलीकृत फार्म को आवश्यक आशोधनों के साथ अपनायें।
- पूर्वानुमान से अधिक निर्यात आर्डर प्राप्त होने की स्थिति में, निर्यात आर्डर के आकार और प्रकृति को ध्यान में रखकर, इन्वेन्टरी के मानक शिथिल किये जायें।
- निर्यातकों के कार्यनिष्पादन के रिकार्ड की आवधिक रूप से समीक्षा की जाए, ताकि बेहतर शर्तों वाले लाभ, जिसमें बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए ब्याज दर सम्मिलित है, दिये जा सकें।

ब्याज

- गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत लगायी जानेवाली ब्याज दर प्रत्येक बैंक में निर्यात ऋण की सामान्य दर से अधिक न हो और भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर हो। इस योजना के अभिप्राय के मद्देनजर बैंक, गोल्ड कार्ड धारकों को उनकी रेटिंग और पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर सबसे अच्छी संभावित दर देने का प्रयास करें।
- गोल्ड कार्ड धारकों के लिए, पोतलदान के बाद रुपया निर्यात ऋण के लिए 90 दिनों तक लगायी जाने वाली रियायती ब्याज की दरें अधिकतम 365 दिनों की अवधि के लिए भी उसी दर से लगायी जायें।

सेवा प्रभार/ईसीजीसी प्रीमियम

- इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली सेवाओं के प्रभार और फीस को अन्य निर्यातकों को दी जाने वाली सेवाओं से अपेक्षाकृत कम रखा जाए।
- भारतीय निर्यातकों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दरें लिबोर + 0.75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसी परिस्थिति में, यदि बैंक के पास निर्यातकों को देने के लिए पर्याप्त डॉलर उपलब्ध न हों तो, इस उद्देश्य के लिए बैंक अंतर-बैंकिंग विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए 0.1 प्रतिशत की एक समान दर पर सेवा प्रभार लगायें।
- बैंक स्व-विवेक से उपयुक्त समझे जाने वाले मामलों में गोल्ड कार्ड धारकों को ईसीजीसी की पैकिंग ऋण गारंटी-सेक्टोरल योजना के अंतर्गत, ईसीजीसी गारंटी से छूट दे सकते हैं।

कालावधि

गोल्ड कार्ड तीन वर्ष की अवधि के किए जारी किए जायें और यदि खातों में कोई अनियमितताएँ/प्रतिकूल बातें न हों तब इन्हें अगले तीन वर्ष के लिए अपने आप नवीकृत किया जाये। कार्ड के दुरुपयोग होने या शर्तों का किसी प्रकार से उल्लंघन होने की स्थिति में बैंकों को किसी भी समय कार्ड वापस लेने का अधिकार है।

अतिरिक्त सुविधाएँ

जारीकर्ता बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसी पूरक सेवाओं के द्वारा अपने कार्ड की उपयोगिता और अधिक बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं।

सभी बैंक, गोल्ड कार्ड धारकों को दिये जाने वाले लाभों को स्पष्ट रूप से दर्शायें और इस जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करें।

कृषि क्षेत्र को ऋण

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ये उपाय सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू किये जाने हैं। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे नीचे बताये गये अनुसार कार्रवाई करें:

ऋणों की चुकौती अवधि बदलना

बैंक, 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार ऐसे किसानों के ऋणों की चुकौती अवधि/ढांचे में परिवर्तन करें जिन्हें लगातार प्राकृतिक आपदाओं, जैसे सूखा, बाढ़ अथवा ऐसी अन्य आपदा जो पिछले पांच वर्ष के दौरान लगातार दो या अधिक वर्षों तक एक या दो जिलों में हुई हो, की वजह से उत्पादन और आय की हानि उठानी पड़ी हो। ऋण की चुकौती अवधि/ढांचे को इस तरह से बदलने का कार्य किया जाये बशर्ते संबंधित राज्य सरकार ने इस तरह के जिलों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया हो। तदनुसार, 31 मार्च 2004 तक इस तरह के उधारकर्ताओं (फसल ऋण तथा कृषि मीयादी ऋण) के खातों पर बकाया/जमा ब्याज को 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार उनमें बकाया मूलधन के साथ मिला दिया जाये और इस तरह से सामने आने वाली राशि, दो वर्ष की आरंभिक अवधि स्थगन अवधि सहित पांच वर्ष की अवधि की मौजूदा ब्याज दरों पर चुकायी जानी होगी।

जहां तक ऐसे फसल ऋणों और कृषिगत मीयादी ऋणों का प्रश्न है जिनकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही चुकौती अवधि बदली जा चुकी है/ढांचा बदला गया है, 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार उन पर ब्याज सहित अतिदेय किस्तों को ही प्रस्तावित चुकौती अवधि बदलने के लिए हिसाब में लिया जाये।

ऊपर बताये गये अनुसार चुकौती अवधि बदलने के बाद संबंधित किसान नये ऋणों के लिए पात्र होंगे। चुकौती अवधि बदले गये/ढांचा बदले गये और साथ ही नये ऋण चालू देय राशियों के रूप में माने जाने चाहिए और इन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। नये ऋण कृषि ऋणों पर यथालागू अनर्जक आस्ति मानदण्डों से संचालित होंगे। चुकौती अवधि बदले गये/ढांचा बदले गये ऋणों के मामले में अनर्जक आस्ति मानदण्ड तीसरे वर्ष के बाद से अर्थात् दो वर्ष की आरंभिक अवधि स्थगन की अवधि समाप्त होने पर लागू होंगे।

छोटे तथा मझौले किसानों के लिए एक समयी निपटान

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक मण्डलों के अनुमोदन से ऐसे छोटे और मझौले किसानों के लिए एक समयी निपटान के लिए दिशानिर्देश तैयार करें जो 24 जून 2004 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता घोषित किये गये हैं और नये ऋण के लिए अयोग्य हो गये हैं। बैंकों को चाहिए कि वे 30 सितम्बर 2004 तक चूककर्ताओं के एक समयी निपटान के बारे में दिशानिर्देश अधिसूचित करने का कार्य पूरा कर लें। इस तरह के चूककर्ताओं से एक समयी निपटान के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्र प्राप्ति के एक महीने के भीतर निपटा दिये जाने चाहिए। बैंक यह सुनिश्चित करें कि निपटान बिना किसी भेदभाव के किया जाना है और इसे पारदर्शी तरीके से किया जाना है ताकि किसान नये ऋण का लाभ ले सकें।

नया वित्त

बैंकों को चाहिए कि वे छोटे और मझौले किसानों के ऐसे सभी मामलों की 30 सितम्बर 2004 तक समीक्षा करें जहां सिर्फ़ इसी कारण से ऋण देने से मना कर दिया गया है कि ऋण खाता समझौते द्वारा या बट्टे खाते डाल कर निपटाया गया था।

अन्य ऋणों के लिए राहत

गैर संस्थागत उधारकर्ताओं (अर्थात् सूदखोरों) से कर्ज के भारी बोझ की वजह से किसानों को होने वाली भयंकर हताशा को कम करने के प्रयोजन से और इस तरह की कर्जखोरी से उन्हें राहत दिलाने की दृष्टि से बैंक अपने अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से यथोचित सम्पार्श्विक या समूह जमानत पर इस तरह के किसानों को नये ऋण देने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर सकते हैं।

मार्जिन/जमानत की माफ़ी

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 50,000 रुपये तक के कृषि ऋणों और 5 लाख रुपये तक के कृषि कारोबार तथा कृषि क्लिनिक ऋणों के लिए मार्जिन/जमानत तत्काल प्रभाव से माफ करें।

प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश

यदि प्रतिभूतिकृत ऋण कृषि को प्रत्यक्ष अग्रिमों के रूप में है तो इस तरह की प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि को उनके प्रत्यक्ष उधारों के रूप में माने जायेंगे। इसी तरह से, ऐसी आस्तियों में बैंकों के निवेश कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में माने जायेंगे। अलबत्ता, ऋणों का प्रतिभूतिकरण मूल बैंकों (ओरिजिनेटर बैंकों) तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा विदाउट रिकोर्स आधार पर किया जाना चाहिए और उनके तुलन पत्रों से हटा लिया जाना चाहिए।

भण्डारण सुविधाओं के लिए ऋण

भण्डारण इकाइयों जहां कृषि उत्पाद, उत्पादित वस्तुएं रखने की व्यवस्था है, भले ही वे कहीं भी बनी हुई हों और जिनमें कोल्ड स्टोरेज इकाइयां शामिल हैं, को ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष कृषि वित्त के रूप में माने जायेंगे।

कृषि संबंधी अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

चुकौती की तारीखें और फसलों की कटाई का समय साथ-साथ हो सकें, इस दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 30 सितंबर 2004 से सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के मामले में निम्नलिखित संशोधित मानदंड लागू होंगे:

क) अल्प अवधि वाली फसलों के लिए मंजूर किया गया ऋण तब अनर्जक आस्ति माना जायेगा जब मूल धन की किस्त या उस पर देय ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो जाये।

ख) लंबी अवधि की फसलों के लिए मंजूर किया गया ऋण तब अनर्जक आस्ति माना जायेगा जब मूलधन की किस्त या उस पर देय ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय हो जाये।

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए **लंबी अवधि** की फसलें वे फसलें होंगी जिनकी फसल अवधि एक वर्ष से अधिक होगी और ऐसी फसलें, जो लंबी अवधि की फसलें नहीं हैं, **कम/अल्प अवधि की फसलें** मानी जायेंगी।

प्रत्येक फसल का फसल-मौसम, जिसका मतलब उगायी गयी फसलों की कटाई तक का समय होगा, प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

किसी किसान द्वारा उगाई गयी फसलों की अवधि के आधार पर, अनर्जक आस्ति संबंधी उपर्युक्त मानदंड उस किसान द्वारा लिये गये कृषि मीयादी ऋणों के मामले में भी लागू होंगे। ऋणों तथा गैर-कृषकों को दिये गये मीयादी ऋणों से भिन्न कृषि ऋणों के संबंध में, अनर्जक आस्तियों का निर्धारण उसी आधार पर किया जायेगा जिस प्रकार गैर-कृषि अग्रिमों के मामले में किया जाता है। यह इस समय चूक संबंधी मानदंडों के अनुसार 90 दिन है।

बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि वे ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ताओं के पास नकदी की उपलब्धता के आधार पर यथार्थपरक चुकौती-कार्यक्रम बनायें। ऐसा करने से उधारकर्ताओं को ऋणों की शीघ्र चुकौती करने में बहुत मदद मिलेगी और इस प्रकार कृषि संबंधी अग्रिमों की वूसली का रिकार्ड सुधर सकेगा।

अनर्जक आस्तियां- अतिरिक्त प्रावधान

इस समय बैंकों से अपेक्षित है कि वे अनर्जक आस्तियों की समय-सीमा के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए श्रेणीवार प्रावधान करें। अलबत्ता, तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध श्रेणी के अंतर्गत शामिल अनर्जक आस्तियों के मामले में, उनके हानि आस्ति के रूप में निर्धारित किये जाने तक, उनकी समय-सीमा चाहे कुछ भी हो, प्रत्याभूत भाग पर 50 प्रतिशत प्रावधान किया जाना अपेक्षित है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002) के पारित हो जाने के बाद और समय बीतने के साथ-साथ किसी आस्ति की वसूली की संभावनाओं/सीमाओं के कम होते रहने के कारण यह आवश्यक है कि बैंक अनर्जक आस्तियों की वसूली में तेजी लाएँ।

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2005 से, 3 वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध श्रेणी की अनर्जक आस्तियों के लिए उनकी समय-सीमा के आधार पर श्रेणीवार उच्चतर प्रावधानीकरण की व्यवस्था लागू की जाए। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियों के वर्तमान स्टॉक के मामले में तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से उच्चतर प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा लागू की जाएगी।

अलबत्ता, पहली अप्रैल 2004 को या उसके बाद तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत सभी अग्रिमों के मामले में 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण अपेक्षित होगा। तदनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध के रूप में निर्दिष्ट अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड 31 मार्च 2005 से निम्न प्रकार होंगे:

(क) अप्रत्याभूत भाग

अग्रिम के उस भाग के लिए, जो किसी ऐसी मूर्त प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं होता जिसे बैंक विधिवत् अपने कब्जे में ले सकता हो, और जिसका वसूलीयोग्य मूल्य वास्तविक आधार पर आकलित किया जाता है, 100 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान किया जाएगा, जैसा कि अभी तक किया जाता रहा है।

(ख) प्रत्याभूत भाग

कितने समय के लिए अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा है	प्रत्याभूत भाग पर प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा
तीन वर्ष से अधिक	
(i) 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों का बकाया स्टॉक	(i) 31 मार्च 2005 की स्थिति - 60 प्रतिशत 31 मार्च 2006 की स्थिति- 75 प्रतिशत 31 मार्च 2007 की स्थिति - 100 प्रतिशत
(ii) पहली अप्रैल 2004 को या उसके बाद तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत अग्रिम	(ii) 100 प्रतिशत

31 मार्च 2005 से लागू होनेवाले संशोधित मानदंडों का सुचारू रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सलाह दी गयी है वे चालू वर्ष के दौरान उपयुक्त प्रावधान करें।

गैर-जमानती ऋणों पर सीमाओं का हटाया जाना

बैंकों को उनकी ऋण संबंधी नीति के मामले में और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि:

(i) गैर-जमानती ऋणों पर से वर्तमान सीमाएं हटा ली जाएं। बैंकों के निदेशक मंडल गैर-जमानती ऋणों के संबंध में अपनी स्वयं की नीति बनायें। गैर जमानती ऋणों की गणना के लिए अनुमत सभी छूटों को भी वापिस ले लिया जाये।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
29 तथा 30 जून 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

(ii) बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान करें अर्थात् अवमानक श्रेणी में आने वाले पूर्ण बकाया अग्रिमों का कुल 20 प्रतिशत का प्रावधान करें ताकि गैर-जमानती ऋणों पर अवमानित घाटा भी शामिल हो सके।

(iii) संदिग्ध और हानि श्रेणी के अंतर्गत आने वाले गैर-जमानती ऋणों के लिए 100 प्रतिशत स्तर का प्रावधान उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार इस समय किया जाता है।

परिभाषाएँ

नज़रिये और कार्यान्वयन के मामले में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर-जमानती ऋण को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ किसी प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य, बैंक/अनुमोदित मूल्यांकक/रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, आरंभ से ही बकाया ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। ऋण के अंतर्गत सभी निधिक और गैर-निधिक ऋण शामिल होंगे (हामीदारी और उसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित)। प्रतिभूति का आशय बैंक को विधिवत् प्रभारित गोचर प्रतिभूति होगा तथा इसके अंतर्गत गारंटी, कंफर्ट लेटर इत्यादि जैसी अगोचर प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं होंगी।

मूलभूत सुविधाओं के लिए ऋण की परिभाषा

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी मूलभूत सुविधा के लिए, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, किसी रूप में दी गयी ऋण सुविधा मूलभूत सुविधा ऋण की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, विकास या, परिचालन और रखरखाव या, विकास, परिचालन और रखरखाव जैसे कार्यों में लगी किसी ऋण लेने वाली कंपनी को दी गयी ऋण सुविधा। कोई ऐसी मूलभूत सुविधा, जो कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक की परियोजना है अथवा इसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा है:

(i) कोई सड़क, जिसमें चुंगी वाली सड़क शामिल है, कोई पुल अथवा कोई रेल प्रणाली;

(ii) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसमें राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग के अन्य कार्यकलाप शामिल हैं;

(iii) कोई बंदरगाह, हवाई अड्डा, देश के अंदर जलमार्ग या देश में बंदरगाह;

(iv) कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, स्वच्छता एवं मल निकासी प्रणाली अथवा ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रणाली;

(v) दूरसंचार सेवाएं चाहे आधारभूत (बेसिक) अथवा सेलुलर हों, जिनमें रेडियो पेजिंग, देशी उपग्रह सेवा (अर्थात् दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनी के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित उपग्रह), ट्रंक कॉल का नेटवर्क, ब्रॉड बैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं;

(vi) कोई औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक अंचल (जोन);

(vii) बिजली उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण;

(viii) नयी प्रेषण अथवा वितरण की लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत प्रेषण अथवा वितरण।

(ix) कृषि प्रोसेसिंग और कृषि को साज सामान की आपूर्ति करने वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;

(x) प्रोसेस किये गये कृषि उत्पाद, फल, सब्जियां तथा फूल जैसी शीघ्र खराब होनेवाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने तथा भंडारण के लिए निर्माण, जिनमें गुणवत्ता के परीक्षण की सुविधा हो;

(xi) शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण।

मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश

समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ऋण की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जाए ताकि निम्नलिखित परियोजनाओं/क्षेत्रों को उसमें शामिल किया जा सके:

(i) कृषि प्रोसेसिंग और कृषि को साज सामान (इनपुट) की आपूर्ति करने वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;

(ii) प्रोसेस किये हुए कृषि उत्पाद, फल, सब्जियां तथा फूल जैसी शीघ्र खराब होनेवाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने तथा भंडारण के लिए निर्माण जिसमें गुणवत्ता के परीक्षण की सुविधा हो; और

(iii) शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण।

विवेकपूर्ण ऋण जोखिम संबंधी सीमाएं

इस समय, बैंकों को एकल उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता के मामले में पूंजीगत निधियों (अर्थात् टीयर I और टीयर II पूंजी) के क्रमशः 15 और 40 प्रतिशत तक का ऋण देन की अनुमति है तथा इसके साथ ही वे मूलभूत सुविधा-क्षेत्र को अपनी पूंजीगत निधियों का 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण भी प्रदान कर सकते हैं। विवेकपूर्ण ऋण जोखिम संबंधी सीमाओं के अनुपालन में कठिनाई महसूस करने वाले बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था। ऐसे प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया गया।

बाह्य वाणिज्यिक उधारों तक उधारकर्ताओं की पहुंच आसान हो सके और वे पूंजी/ऋण बाज़ार के ज़रिये संसाधन जुटा सकें, इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि :

(i) एकल/समूह उधारकर्ता के मामले में विवेकपूर्ण ऋण संबंधी सीमाओं अर्थात् क्रमशः 15 पतिशत और 40 प्रतिशत तथा मूलभूत सुविधा-क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण के मामले में 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाये।

(ii) आपवादिक परिस्थितियों में बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता को अपनी पूंजीगत निधियों का 5 प्रतिशत और अधिक ऋण (अर्थात् एकल उधारकर्ता के मामले में पूंजीगत निधियों का 20 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के मामले में पूंजीगत निधियों का 45 प्रतिशत) देने पर विचार कर सकते हैं परंतु इस मामले में शर्त यह होगी कि उधारकर्ता अपनी वार्षिक रिपोर्टों में इस संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण करने की सहमति दें।

(iii) मूलभूत सुविधा-क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण के मामले में बैंक ऊपर (i) पर बताये गये अनुसार 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का अतिरिक्त ऋण, क्रमशः 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत की सीमाओं के अलावा, मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं।

(iv) एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसी उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता को दिये जाने वाले ऋण की सीमा के अनुपालन का आकलन करने के लिए ऋण की गणना करते समय, उन ऋणों को बाहर रखा जाएगा जिनके मामले में मूलधन और ब्याज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह प्रत्याभूत होंगे।

(v) बैंक, वर्ष के दौरान जब विवेकपूर्ण ऋण संबंधी सीमाओं से अधिक ऋण दें तब वे ऐसे ऋणों के मामले में अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ दी जाने वाली लेखा संबंधी टिप्पणी में उपयुक्त प्रकटीकरण करें।

(vi) बैंकों द्वारा दिये गये जो ऋण एकल/समूह उधारकर्ता के मामले में उपर्युक्त अनुदेशों के अनुरूप नहीं होंगे तथा उनकी मात्रा अधिक होगी, उन्हें 31 मार्च 2005 तक, या तो पूंजीगत निधियों में वृद्धि करके या ऋणों में कमी करके अधिक मात्रा का ऋण समाप्त कर देना होगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित। **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**